राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक–लेखा / 2014 / 1610 ग्वालियर, : दिनांक 14/8/2014

विज्ञापन

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा अपनी लेखांकन प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से बैलेंसशीट, वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक तैयार करने, विभिन्न टैक्स संबंधी कार्यों एवं सामान्य परामर्श प्रदान करने के लिये मासिक आधार पर एक अनुभवी एवं दक्ष चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता की आवश्यकता है। इच्छुक चार्टर्ड एकाउण्टेंट निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन विश्वविद्यालय में जमा कर सकते है।

आवेदन प्रपत्र कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय की लेखा नियंत्रक, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.rvskvv.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ प्रोसेसिंग शुल्क हेतु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम से देय राशि रू. 1000/— का बैंक ड्राफ्ट अनिवार्यतः संलग्न किया जायेगा। सील्ड लिफाफे मे आवेदन विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 01.09.2014 है।

15/8/14

लेखा नियंत्रक

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता की सेवाओं के लिये प्रस्ताव आमंत्रण सामान्य शर्ते

(आवेदन पत्र के साथ हस्ताक्षरित सामान्य शर्ते संलग्न की जायेगी)

1. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में मासिक मानदेय पर निम्नांकित कार्य संपादित किये जाने के लिये परामर्शदाता के रूप में चार्टर्ड एकाउण्टेंट की सेवाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–

   (A) विश्वविद्यालय की प्रारंभ से बैलेंसशीट तैयार करना।

   (B) विश्वविद्यालय को आय की प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक तैयार करने हेतु परामर्श, तथा विश्वविद्यालय खातों (Bank Accounts) के गतवर्षो के बैंक समाधान पत्रक तैयार करना।

   (C) विभिन्न प्रकार के टैक्स प्रकरणों में टैक्स संबंधी कार्य हेतु परामर्श। सर्विस टैक्स रिटर्न जमा करना।

   (D) विश्वविद्यालय की लेखांकन प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु परामर्श।

   (E) विश्वविद्यालय कर्मचारियों के आयकर संबंधी तिमाही एन.एस.डी.एल. पर जमा कर 24 क्यू की प्राप्ति, कर्मचारियों द्वारा आयकर संबंधी निर्धारित फॉर्म 12–सी में दिये गये विवरण के अनुसार आयकर की गणना करना तथा फॉर्म–16 तैयार किये जाने संबंधी कार्य। तथा विश्वविद्यालय के प्रारंभ से नवीन परिभाषित पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की कटौत्रा राशि एन.एस.डी.एल. में जमा कराया जाना।

   (F) ठेकेदरों, सप्लायर्स अथवा अन्य को किये गये भुगतान पर काटे गये टी.डी.एस. अथवा अन्य टैक्स की तिमाही विवरण जमा कराना तथा फार्म – 16ए तैयार किये जाने संबंधी कार्य।

   (G) विश्वविद्यालय के लेखा संबंधी कार्य को टेली सॉफ्टवेयर द्वारा संपादित किये जाने हेतु तीन से चार घण्टे प्रतिदिन टैली सोफ्टवेयर में दक्ष कर्मचारी की सेवायें उपलब्ध कराना।

   (H) आयकर विभाग द्वारा प्रेषित नोटिसों का जवाब तैयार करना एवं नियत पेशी दिनांको पर आयकर विभाग में उपस्थित होना।

   (I) पूर्व के वर्षो में जमा तिमाही 24 क्यू तथा 26 क्यू में यदि त्रुटि के कारण संशोधन किया जाने की आवश्यकता होती है, तिमाही विवरणी में सुधार संबंधी कार्य। (इस कार्य हेतु पृथक से कोई मानदेय देय नहीं होगा केवल नियमानुसार आयकर कार्यालय में जमा शुल्क की राशि की रसीद संलग्न किये जाने पर प्रतिपूर्ति की जायेगी)

   (J) विश्वविद्यालय की केन्द्रीय क्रय समिति तथा तकनीकि समिति की बैठक में चाहे जाने पर निविदा के संबंध में परामर्श।

   (K) आवश्यकता अनुसारअंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रदाय कराया जाना।

   कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को जानने के लिये किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में उप लेखा नियंत्रक से संपर्क किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील

2. उपरोक्त क्रमांक 1 (A) से (K) तक वर्णित कार्यो हेतु आवेदक चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपेक्षित मानदेय की राशि अंका एवं शब्दों में स्पष्टतः अंकित की जायेगी। उक्त कार्यो हेतु मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
3. आवेदक चार्टर्ड एकाउण्टेंट को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया में रजिस्टर्ड होना चाहिये। आवेदक के साथ ICAI Membership Card की प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाये।
4. आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क हेतु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम से देय राशि रू. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
5. निर्धारित आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को स्वच्छ अक्षरों में बिना कॉट-छॉट किये भरा जायेगा।
6. आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी PAN नंबर की प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाये।
7. आवेदक चार्टर्ड एकाउण्टेंट को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/विश्वविद्यालय /बैंक में ऑडिट एवं एकाउटिंग कार्य का विगत पॉच वर्षो 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 में से कम से कम किन्ही तीन वर्षो का अनुभव अनिवार्यतः होना चाहिये। वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 में उपरोक्तानुसार अनुभव के प्रमाण स्वरूप कार्य आदेश की प्रति आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जाये।
8. विश्वविद्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 01.09.2014 है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जायेंगे।
9. आवेदन पत्र को समस्त संलग्नकों सहित एक लिफाफे में रखकर सीलड किया जायेगा। लिफाफे के उपर **"चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता की सेवाओं के लिये आवेदन"** अनिवार्यतः अंकित किया जाये। लिफाफे के अंदर निम्नानुसार क्रम में अभिलेख रखे जायेंगे।
   1. प्रोसेसिंग शुल्क राशि रू. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट।
   2. विश्वविद्यालय की निविदा अनुसार सामान्य शर्तो की प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील सहित।
   3. आवेदन पत्र प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील सहित।
   4. इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया में रजिस्ट्रेशन की प्रति (ICAI Membership Card)।
   5. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/विश्वविद्यालय/बैंक में ऑडिट एवं एकाउटिंग कार्य के अनुभव के प्रमाण स्वरूप कार्यादेश की प्रति।

   सीलड लिफाफे में आवेदन निम्नांकित पते पर प्रेषित किया जायेगा।

   लेखा नियंत्रक,
   राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
   रेसकार्स रोड़, ग्वालियर - 474002 (म.प्र.)
10. प्रारंभ में चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता की सेवायें मात्र दो वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिये ली जायेंगी। यदि विश्वविद्यालय द्वारा चार्टर्ड एकाउण्टेंट का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है। तो समीक्षा उपरांत एक वर्ष के लिये सेवायें, लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा निरंतर की जा सकेंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील

11. शर्त के साथ प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
12. चयनित चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र भेजकर निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ करने हेतु सूचित किया जायेगा। यदि चयनित चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता द्वारा निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले चार्टर्ड एकाउण्टेंट को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जायेगा।
13. चयनित चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अंकित की गई मासिक मानदेय की तीन गुना राशि की बैंक गारंटी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः जमा की जायेगी।
14. चयनित चार्टर्ड एकाउण्टेंट राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के परामर्शदाता मात्र के रूप में कार्य करेगें और किसी भी प्रयोजन के लिये राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नहीं माने जायेंगे। इस कार्य हेतु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कर्मचारी के रूप में नियुक्ति अथवा किसी अन्य लाभ हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
15. चयनित चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के मार्ग दर्शन में कार्य संपन्न किया जायेगा। चयनित चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता की सेवायें आवेदन पत्र में किसी गलत तथ्य/जानकारी के लिये जाने पर संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह के नोटिस पर लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकेंगी।
16. सामान्यतः समस्त अनिवार्य शर्तो की पूर्ति करने वाले एवं सबसे न्युनतम मासिक मानदेय राशि दर अंकित करने वाले चार्टर्ड एकाउण्टेंट को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जायेगा। परन्तु लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को बिना किसी कारण बताते हुये किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार अथवा स्वीकार करने का अधिकार होगा।
17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का निर्णय अंतिम होगा।
18. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में प्रकरण ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में होगा।

लेखा नियंत्रक

घोषणा–पत्र

मेरे द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता के कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह समझ लिया गया है। इस कार्य के लिये विश्वविद्यालय की समस्त शर्तो को मान्य करते हुये मैं अपनी सहमति देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता की सेवाओं के लिये आवेदन पत्र

1. नाम :...
2. पता :...
   :...
   ....
3. आयकर विभा द्वारा जारी PAN नम्बर :..
   (कृपया प्रति संलग्न करें)
4. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया
   में रजिस्ट्रेशन की प्रति (ICAI Membership Card) संलग्न की जा रही है : (हॉ/नहीं)
5. प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण : राशि ₹..................... ड्राफ्ट क्रं .... दिनांक ....
   बैंक का नाम ....
6. दूरभाष क्रमांक : कार्यालय .... निवास ....
7. ई-मेल आई डी : ....
8. अनुभव :-
   किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/विश्वविद्यालय/बैंक में ऑडिट एवं एकाउटिंग कार्य के विगत पॉच वर्षो के अनुभव का विवरण -

क्रं.	वर्ष	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/विश्वविद्यालय/बैंक का नाम	कार्य आदेश की प्रति संलग्न है
1	2009	1	हॉ/नहीं
		2	हॉ/नही
		3	हॉ/नहीं
2	2010	1	हॉ/नहीं
		2	हॉ/नही
		3	हॉ/नहीं
3	2011	1	हॉ/नहीं
		2	हॉ/नही
		3	हॉ/नहीं
4	2012	1	हॉ/नहीं
		2	हॉ/नही
		3	हॉ/नहीं
5	2013	1	हॉ/नहीं
		2	हॉ/नहीं
		3	हॉ/नही

आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील

9. सामान्य शर्तों के क्रमांक 1 (A) से (K) में अंकित कार्यो के लिये
परामर्शदाता के कार्य हेतु विश्वविद्यालय से : (अंको में) ₹..
अपेक्षित मासिक मानदेय राशि अंकित करें : (शब्दों में) ₹..

मेंने व्यक्तिगत रूप से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में चार्टर्ड एकाउण्टेंट परामर्शदाता के कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लिया है। में विश्वविद्यालय की समस्त शर्तों को मान्य करते हुये परामर्शदाता का कार्य करने के लिये अपनी समहमति देता हूँ। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है।

परामर्शदाता के रूप में मेरा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में या किसी गलत तथ्य के पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा मेरी सेवायें समाप्त करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर

नाम ....

सील ....